



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23032026-271191
CG-MH-E-23032026-271191

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1421]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 1421]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 18 मार्च, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 1486(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, "मध्य रेल- 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्धा-बल्लारशाह खंड के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य" की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

अ.सं.	सक्षमप्राधिकारी	तहसील	जिला
1	सक्षमप्राधिकारी एवं उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन, (वि.पा.वि.म) वर्धा	हिंगनघाट	वर्धा

[फा. सं. G197/Wardha-Ballarshah Section/Hinganghat Tehsil/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 18th March, 2026

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1486(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Central Railway- Up-gradation work of Electric Traction system for Wardha-Ballarshah section to meet 3000 MT Loading target**” **District Wardha** in the state of Maharashtra Mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S.No.	Competent Authority	Tehsil	District
1	Competent Authority and Dy. Collector Land Acquisition (V.I.D.C.)	Hinganghat	Wardha

[F.No. G197/Wardha-Ballarshah Section/Hinganghat Tehsil/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)